बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संoसंo–प्रo–2–लoखo(ब्रिक)–02 / 18–.................../एमo, पटना, दिनांक–.....................

प्रेषक,

फैक्स / ई–मेल

असंगबा चुबा आओ,भाoप्रoसेo,
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– ईंट–भट्ठों में ई–चालान व्यवस्था का अनुपालन करने वाले भट्ठेदारों को सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 287 / एमo, दिनांक– 15.01.2018 एवं पत्रांक– 316 / एमo, दिनांक– 16.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि ईंट–भट्ठों के परिचालन के लिए ई–चालान व्यवस्था दिनांक–15.01.2018 से प्रभावी हो चुकी है एवं अबतक लगभग 700 (सात सौ) ईंट–भट्ठेदारों द्वारा ई–चालान प्रक्रिया अपनाने हेतु आवेदन किया जा चुका है एवं उन्हें विभाग द्वारा User ID एवं Password भी निर्गत किया जा चुका है।

ई–चालान व्यवस्था सभी ईंट–भट्ठेदार अपनाते हुए अपने ईंटों का प्रेषण ई–चालान के माध्यम से कर सकें इसके लिए विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिये है–

1. ई–चालान प्रक्रिया के माध्यम से ईंट का प्रेषण करने वाले ईंट–भट्ठेदारों को ईंट–सत्र 2017–18 में समेकित स्वामिस्व में 5% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।
2. ई–चालान प्रक्रिया अपनाने वाले भट्ठेदारों को विभागाधीन निगम (BSMC) के माध्यम से उचित मूल्य पर अच्छी गुणवता वाले कोयला को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ईंटा परिवहन के लिए वाहनों पर GPS व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के लिए गये उपरोक्त निर्णय से आपके जिला के सभी ईंट–भट्ठेदारों को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

हo / –
विशेष सचिव–सह–निदेशक

P.T.O.

D/MANOJ/ANIL/DRAFT

ज्ञापांक–../एम0, पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–..........381.................../एम0, पटना, दिनांक– 18/1/18
प्रतिलिपिः– I.T Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक

D/MANOJ/ANIL/DRAFT